उत्तर प्रदेश शासन
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-90/2018/1105/92-2-18-10जांच/2013
लखनऊ:: दिनांक:: 16 जुलाई, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-गाजीपुर में तत्कालीन सहायक अभियंता के पद पर कार्यरत रहते हुये श्री एन0के0 त्रिपाठी द्वारा सम्पादित कराये गये कतिपय निर्माण कार्यो की मुख्य प्राविधिक परीक्षक, टी0ए0सी0 (तकनीकी सम्परीक्षा प्रकोष्ठ) की जांच आख्या में पायी गयी अनियमितताओं के फलस्वरूप शासकीय क्षति रू0 1,432.75 हेतु प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-138/92(प्रकोष्ठ)/14-10जांच/13 दिनांक 10-04-2014 द्वारा श्री त्रिपाठी का उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-10(2) के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत करते हुये स्पष्टीकरण मांगा गया। श्री त्रिपाठी का स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की स्थिति में शासन के पत्र सं0-666/92-2-16-10जांच/2013 दिनांक 28-03-2016, पत्र सं0-1118/92-2-16-10जांच/2013 दि0 29-07-2016 एवं पत्र सं0-400/92-2-17-10जांच/2013 दिनांक 10-03-2017 द्वारा अनुस्मरण कराया गया परन्तु श्री त्रिपाठी द्वारा अपना बचाव उत्तर प्रस्तुत नही किया गया। इसी मध्य श्री त्रिपाठी अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दि0 28-02-2017 को सेवानिवृत्त हो गये। अतएव श्री त्रिपाठी के विरूद्व प्रचलित उक्त नियमावली के नियम-10(2) के अंतर्गत स्पष्टीकरण को शासनके कार्यालय संख्या-139/17/1338/92-2-17-10जांच/13 दि0 09-08-17 एवं शुद्धि पत्र दि0 16-08-2017 द्वारा सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए में परिवर्तित कर दिया गया।

2- प्रकरण में पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी श्री त्रिपाठी का बचाव उत्तर अप्राप्त रहने की स्थिति में शासन द्वारा उक्त परिलक्षित शासकीय क्षति रू0 1,432.75 की वसूली श्री त्रिपाठी से वसूल किये जाने हेतु विनिश्चित अनन्तिम दण्ड पर शासन के पत्र संख्या-1512/92-2-17-10जांच/2013 दिनांक 22-08-2017 द्वारा लोक सेवा से सहमति मांगी गयी। उक्त के क्रम में लोक सेवा आयोग द्वारा निम्नवत सहमति दी गयी है :-

'' श्री एन0के0 त्रिपाठी पर परिलक्षित कुल शासकीय क्षति रू0 1432.75 की वसूली की जाय।''

3- इसी मध्य श्री एन0के0 त्रिपाठी, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियंता के पत्र दिनांक 27-04-2018 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रकरण में उनके विरूद्व परिलक्षित शासकीय क्षति रू0 1432.75 को उनके द्वारा अधिशासी अभियंता प्रखण्ड-गाजीपुर के कार्यालय में प्राप्ति रसीद प्रपत्र-385 सं0-693955 दिनांक 08-09-2017 द्वारा जमा कर दी गयी है।

4-- प्रकरण में सम्पूर्ण तथ्यो/अभिलेखों को संज्ञान में रखते हुये श्री एन0के0 त्रिपाठी तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-गाजीपुर (सेवानिवृत्त) के विरूद्व शासन के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

कार्यालय ज्ञाप दिनांक 10-04-2014 द्वारा मांगे गये स्पष्टीकरण को, परिलक्षित शासकीय क्षति की धनराशि मु0 रू0 1432.75 राजकोष में जमा कर दिये जाने के द्रष्टिगत उक्त धनराशि को समायोजित मानते हुये एतदद्वारा समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- /2018/1105(1)/92-2-2018 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

2- मा0 लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद को उनके पत्र संख्या-57(1)/6/एडीसी/12/17-18 दिनांक 11-04-2018 के क्रम में।

3- श्री एन0के0 त्रिपाठी, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-गाजीपुर (समप्रति सेवानिवृत्त) द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

4- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।